



## मध्यप्रदेश ग्रामीण सङ्क विकास प्राधिकरण

(म.प्र. शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अधीन )

खण्ड-2, पंचम तल, पर्यावास भवन, भोपाल-462 011

Tel. No.: (O) 0755-2572207, (F) 2573396 E-mail: ceomprrda@gmail.com

### :: आदेश ::

क्रमांक: 24108

प्राधिकरण के अंतर्गत धार जिले में गठित तीन परियोजना क्रियान्वयन इकाईयों का वर्तमान कार्यभार के दृष्टिगत, आगामी आदेश तक निम्नानुसार पुनर्गठन किया जाता है :—

भोपाल, दिनांक 28-12-2018.....

| क्र. | जिला | वर्तमान में |                 |  | क्र. | पुनर्गठन उपरांत             |                 |  |
|------|------|-------------|-----------------|--|------|-----------------------------|-----------------|--|
|      |      | इकाई        | वि.ख.<br>संख्या | विकासखंड का नाम  |      | इकाई                        | वि.ख.<br>संख्या | विकासखंड का नाम  |
| 1    | धार  | क्र.-1      | 3               | धार, नालछा, तिरला  | 1    | क्र.-1                      | 6               | धार, नालछा, निरला<br>बदनावर, गंधवानी<br>सरदारपुर       |
|      |      | क्र.-2      | 7               | मनावर, धरमपुरी, बाकानेर<br>(उमरवन), कुक्षी, निरसपुर,<br>बाग, डही | 2    | क्र.-2<br>मुख्यालय<br>मनावर | 7               | धरमपुरी, उमरबन,<br>मनावर, निसरपुर,<br>कुक्षी, डही, बाग |
|      |      | क्र-3       | 3               | बदनावर, सरदारपुर,<br>गंधवानी                                     |      |                             |                 |  |

2. उक्तानुसार पोआईयू पुनर्गठन के उपरांत इकाई-3 धार के अतिशेष मिनिस्ट्रियल अमले का समायोजन क्षेत्रीय मुख्य महाप्रबंधक इंदौर अपने जोनल क्षेत्र में करेंगे। जोनल क्षेत्र से बाहर वांछित परिवर्तन एवं अतिशेष सहायक प्रबंधक, उपयंत्री एवं लेखाधिकारी की पदस्थापना मुख्य महाप्रबंधक के द्वारा प्रेषित प्रस्ताव पर अन्य जिलों में मुख्यालय से की जावेगी।

3. उपरोक्तानुसार पुनर्गठन उपरांत बंद की गई इकाई के कम्प्यूटर, उपकरण, फर्नीचर वर्तमान में समायोजित की जाने वाली इकाई के अधीन रहेगा, अभिलेखों के संबंध में प्राधिकरण द्वारा पूर्व में जारी निर्देशों के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जावे। अतिरिक्त सामग्री इत्यादि का समायोजन क्षेत्रीय मुख्य महाप्रबंधक द्वारा अपने जोनल क्षेत्र में आवश्यकतानुसार किया जा सकेगा।

यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

28/12

(नीतेश व्यास)

मुख्य कार्यपालन अधिकारी

म.प्र. ग्रामीण सङ्क विकास प्राधिकरण, भोपाल  
भोपाल, दिनांक 28/12/2018

पृ. क्र. 24109 / 22 / वि-12 / प्रशा. / 6-105 / 2018  
प्रतिलिपि :-

1. संभाग आयुक्त, इंदौर संभाग म.प्र.।
2. कलेक्टर, जिला धार म.प्र.।
3. क्षेत्रीय मुख्य महाप्रबंधक, मध्यप्रदेश ग्रामीण सङ्क विकास प्राधिकरण, इंदौर।
4. मुख्य महाप्रबंधक (समस्त), मध्यप्रदेश ग्रामीण सङ्क विकास प्राधिकरण, मुख्यालय भोपाल, म.प्र.।
5. महाप्रबंधक तकनीकी (समस्त), मध्यप्रदेश ग्रामीण सङ्क विकास प्राधिकरण, मुख्यालय भोपाल, म.प्र.।
6. वित्तीय सलाहकार, मध्यप्रदेश ग्रामीण सङ्क विकास प्राधिकरण, मुख्यालय भोपाल, म.प्र.।
7. महाप्रबंधक, म.प्र. ग्रामीण सङ्क विकास प्राधिकरण, परियोजना क्रियान्वयन इकाई-1/2/3 धार म.प्र.।
8. प्रबंधक, सूचना प्रौद्यौगिकी, मध्यप्रदेश ग्रामीण सङ्क विकास प्राधिकरण, मुख्यालय भोपाल, म.प्र.।
9. समस्त शाखाएं, मध्यप्रदेश ग्रामीण सङ्क विकास प्राधिकरण, मुख्यालय भोपाल, म.प्र.।
10. गार्ड नस्ती।

28/12

मुख्य कार्यपालन अधिकारी

म.प्र. ग्रामीण सङ्क विकास प्राधिकरण, भोपाल